न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 112/2022

उनवानः– देवेन्द्र बनाम राजेश वगै0

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायलान व गैरसायल न0 1 एक ही पूर्वज रामप्रसाद की संतती है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात को विक्रय करने पर उतारू है। सायलान के पास वर्णित आराजी के अलावा अपने गुजारे को कोई अन्य साधन हनी है। सायलान का गैरसायलान से संबध पुत्र, पुत्री का है। इसलिये वाई बर्थ इनका भी हिस्सा है। अतः गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे व रहन बेचान नही करे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम ऐदलपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 99 मे कुल किता 22 रकवा 6.07 है0 मे गैरसायल 1/4 हिस्से का, तथा खाता न0 97 मे कुल किता 01 रकवा 0.43 है0 मे गैरसायल 1/8 हिस्से का, खाता न0 98 मे कुल किता 03 रकवा 0.27 है0 मे गैरसायल 1/4 हिस्से का, खाता न0 91 मे कुल किता 01 रकवा 0.03 है0 मे गैरसायल 1/6 हिस्से का, खाता न0 92 मे कुल किता 01 रकवा 0.10 है0 मे गैरसायल 1/2 हिस्से का, खाता न0 100 मे कुल किता 03 रकवा 0.33 है0 मे गैरसायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसमे उसके पुत्र, पुत्री व पत्नि का नोशनल शेयर पर हिस्सा बनता है जिसे उनकी सहमति के बिना विक्रय नही किया जा सकता। तथा गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम ऐदलपुर की आराजी ख0न0 **190/0.14, 191/0.28, 194/0.04, 197/0.01, 199/0.45, 343/0.29, 344/0.15, 347/0.29, 348/0.48, 349/0.56, 350/0.65, 351/0.04, 352/0.49, 353/0.37, 354/0.23, 360/0.09, 363/0.10, 388/0.41, 437/0.23, 689/806/0.17, 690/0.32, 346/0.43, 258/844/0.05, 259/0.09, 264/0.13, 333/0.03, 442/0.10, 326/0.09, 327/0.08, 345/0.16, है0 ग्राम ऐदलपुर** तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक .06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:57:13 IST
Reason: SelfAttested